

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 27 जुलाई, 2021 को अपराह्न 12.30 बजे विश्वविद्यालय के सर जे0 सी0 बोस सभागार में सम्पन्न हुयी बैठक 2021/03 (संख्या बत्तीसवीं) की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. प्रो0 जे0 पी0 पाण्डेय, - अध्यक्ष
कुलपति,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. प्रो0 राम अचल सिंह, - सदस्य
पूर्व कुलपति, डा0 आर0एम0एल0अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद
(राज्य सरकार द्वारा नामित)
3. प्रो0 राजीव त्रिपाठी, - सदस्य
निदेशक, एम0एन0एन0आई0टी, इलाहाबाद
(राज्य सरकार द्वारा नामित)
4. प्रो0 संजय कुमार सिंह, - सदस्य
आचार्य, आई0आई0एम0 लखनऊ
(पूर्व निदेशक, आई0एम0टी0, गाजियाबाद)
(राज्य सरकार द्वारा नामित)
5. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, - सदस्य
आचार्य, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(राज्य सरकार नामिती)
6. प्रो0 रंकेश कुमार - सदस्य
अधिष्ठाता, छात्र मामले,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(राज्य सरकार द्वारा नामित)
7. प्रो0 एस0 के0 सोनी, - सदस्य
अधिष्ठाता, स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(राज्य सरकार नामिती)
8. ई0 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, - सदस्य
मैनेजिंग डाइरेक्टर, मे0 एस0के0 केमिकल्स,
गोरखपुर (राज्य सरकार द्वारा नामित)

Bhuma

9. डा0 अश्विनी कुमार मिश्र, - सदस्य
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
प्रतिनिधि प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
10. श्री हरिशंकर मिश्र, - सदस्य
अपर निदेशक, कौषागार गोरखपुर मण्डल
प्रतिनिधि अपरमुख्य सचिव (वित्त)
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
11. श्री कृपा शंकर सिंह, - सदस्य
विशेष सचिव एवं प्रतिनिधि सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
12. प्रो0 डी0 के0 द्विवेदी, - विशेष आमंत्रि
अधिष्ठाता, संकाय मामले,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. प्रो0 पी0 के0 सिंह, - विशेष आमंत्रि
आचार्य, संगणक एवं अभियांत्रिकी अभियंत्रण विभाग,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
14. प्रो0 एस0 सी0 जैसवाल, - विशेष आमंत्रि
समन्वयक, टेक्विप,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
15. प्रो0 गोविन्द पाण्डेय, अधिष्ठाता, - विशेष आमंत्रि
नियोजन, श्रोत जनन एवं पुरातन छात्र संबंध,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
16. प्रो0 ए0 एन0 तिवारी - विशेष आमंत्रि
परीक्षा नियंत्रक,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
17. श्री अमर सिंह, - विशेष आमंत्रि
वित्त नियंत्रक,
म0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Bhuma

18. प्रो० बृजेश कुमार,
कुलसचिव

- सचिव

म०मो०मा० प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर

उ० प्र० मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध बोर्ड के गठन की व्यवस्था की धारा 22(2)(ग) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के दो आचार्य जो प्रबन्ध बोर्ड की संस्तुति पर सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होते हैं, उनमें से एक का नामांकन प्रतिक्षित है।

2021/03.01 अध्यक्ष, प्रबन्ध बोर्ड, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रारम्भिक अभियुक्त को अंकित किया जाना।

1. माननीय कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा की है।
2. विश्वविद्यालय में अनुशासन एवं एकता को बढ़ावा देने के लिए एन०सी०सी० को इलेक्ट्रिक विषय के रूप में रखा गया है।
3. विश्वविद्यालय ने दिनांक 24.06.2021 को "Institutional Information for Quality Assessment(IIQA)" फार्म भरकर नैक के लिए आवेदन कर दिया है। SSR भरे जाने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2021 है।
4. विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम अगस्त माह में प्रस्तावित है।
5. विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों का विज्ञापन अगस्त के प्रथम सप्ताह में किया जाना निर्धारित है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है।
7. विश्वविद्यालय के सभी विभागों द्वारा विभागीय आई०क्यू०ए०सी० की बैठक आयोजित की गयी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर आई०क्यू०ए०सी० की बैठक 26 जुलाई को आयोजित करायी गयी।
8. विश्वविद्यालय की पत्रिका "मालविका" का आनलाईन संस्करण 28 जून, 2021 को लांच किया गया।
9. शासन के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय में 741 वृक्षों का रोपण किया गया।
10. विश्व पर्यावरण दिवस एवं योग दिवस का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।
11. विश्वविद्यालय के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम "अभ्युदय" का आयोजन 26 जून, 2021 से 10 जुलाई, 2021 तक आनलाईन माध्यम से किया गया।

Bhuma

2021/03.02 विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09 जून, 2021 को सम्पन्न हुयी 2021/02 बैठक (संख्या इकतीसवीं) की कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिनांक 09 जून, 2021 को सम्पन्न हुयी 2021/02 बैठक (संख्या इकतीसवीं) की कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2021/03.03 विश्वविद्यालय की प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09 जून, 2021 को सम्पन्न हुयी 2021/02 बैठक (संख्या इकतीसवीं) में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित किए जाने का विवरण।

प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 09 जून, 2021 को सम्पन्न हुयी 2021/02 बैठक (संख्या इकतीसवीं) में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित किए जाने के विवरण से अवगत हुयी।

2021/03.04 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 27.07.2021 को सम्पन्न हुयी 2021/01 बैठक(संख्या बाईसवीं) की कार्यवृत्त का अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के वित्त समिति की 27.07.2021 को सम्पन्न हुयी 2021/01 बैठक(संख्या बाईसवीं) की कार्यवृत्त (अनुलग्नक-1 पर प्रस्तुत) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2021/03.05 विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के विभागवार बटवारों के लिए गठित समिति की दिनांक 28.06.2021 की बैठक की कार्यवृत्त पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के विभागवार बटवारों के लिए गठित समिति की दिनांक 28.06.2021 की बैठक की कार्यवृत्त पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।


2021/03.06 विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पदों को भरे जाने हेतु प्रस्तावित नये रोस्टर पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पदों को भरे जाने हेतु प्रस्तावित नये रोस्टर पर सत्र लाभ वाले प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया एवं शेष का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2021/03.07 प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में अनुकम्पा के आधार पर की गयी नियुक्तियों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में अनुकम्पा के आधार पर की गयी निम्न नियुक्तियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. श्री सुनील कुमार पुत्र स्व0 हरीलाल, चौकीदार - कनिष्ठ सहायक
2. श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व रामवृक्ष, परिचारक - मेट



2021/03.08 प्रबन्ध बोर्ड में विश्वविद्यालय के एक आचार्य स्तर के सदस्य को सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट कराने के प्रस्ताव पर प्रबन्ध बोर्ड की संस्तुति।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में एक आचार्य स्तर के सदस्य को सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट कराने हेतु वरिष्ठता क्रम में निम्न नामों की संस्तुति की गयी है:-

1. प्रो० उदय शंकर, आचार्य, संगणक एवं अभियांत्रिकी अभियंत्रण विभाग।
2. प्रो० विनोद कुमार गिरि, आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग।
3. प्रो० दिलीप कुमार द्विवेदी, आचार्य, भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान विभाग।
4. प्रो० प्रदीप कुमार सिंह, संगणक एवं अभियांत्रिकी अभियंत्रण विभाग।

साथ ही यह भी निर्देश दिया कि क्रमांक 1 एवं 2 पर वर्णित नाम पहले प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, से सरकार को अवगत कराते हुए सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट कराने की कार्यवाही करें।

2021/03.09 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु रिक्त आवासों के आवंटन हेतु आरक्षण एवं एलाटमेण्ट सम्बन्धी शासनादेश, एलाटमेण्ट रोस्टर तथा हाउस एलाटमेण्ट रूल के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु रिक्त आवासों के आवंटन हेतु एलाटमेण्ट एवं आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों को समाहित करते हुए हाउस एलाटमेण्ट रूल बनाने के लिए निर्देशित किया।

2021/03.10 विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापन करके नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित करने के लिए समिति द्वारा संस्तुति की गयी विस्तृत गाइडलाईन्स पर अनुमोदन।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापन करके नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित करने के लिए मा० कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किये गये गाइड लाईन के आधार पर समिति द्वारा तैयार विस्तृत गाइडलाईन्स पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

2021/03.11 विश्वविद्यालय के आई०टी०आर०सी० में कार्यरत पूर्व संविदा कर्मियों के आवास आवंटन के निरस्तीकरण से प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।

प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय के आई०टी०आर०सी० में कार्यरत पूर्व संविदा कर्मियों के आवास आवंटन के निरस्तीकरण से अवगत हुई

2021/03.12 श्री अंजनी कुमार सिंह, कार्यशाला अधीक्षक के प्रोन्नति हेतु ए०आई०सी०टी०ई० की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री अंजनी कुमार सिंह, कार्यशाला अधीक्षक के प्रोन्नति हेतु ए०आई०सी०टी०ई० की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

2021/03.13 डॉ० एल० बी० प्रसाद, सहायक आचार्य, विद्युत अभियन्त्रण विभाग के प्रकरण में उन विन्दुओं का निस्तारण, जो कि न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, उन्हें निस्तारित करने की अनुमति।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा डॉ० एल० बी० प्रसाद, सहायक आचार्य, विद्युत अभियन्त्रण विभाग के लंबित प्रकरणों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि डा० प्रसाद द्वारा पीएच०डी० पूरी कर ली गयी है एवं विगत कई वर्षों से वे विश्वविद्यालय में सेवा भी प्रदान कर रहे हैं, के दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

2021/03.14 विश्वविद्यालय में Drone Centre of Excellence एवं IoT Centre of Excellence स्थापित करने की अनुमति।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में Drone Centre of Excellence एवं IoT Centre of Excellence स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

2021/03.15 विश्वविद्यालय के आई०टी०आर०सी० में कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा न्यायालय में किए गये वादों से प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।

प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय के आई०टी०आर०सी० में कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा न्यायालय में किए गये वादों से अवगत हुई एवं उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने हेतु निर्देशित किया।

2021/03.16 माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त से प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।

प्रबन्ध बोर्ड माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त से अवगत हुई।

2021/03.17 विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-22(2)(ख) एवं धारा-22(2)(ड) के अंतर्गत प्रबन्ध बोर्ड में नामित किये गये सदस्यों की सूचना से प्रबन्ध बोर्ड को अवगत कराना।

प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-22(2)(ख) एवं धारा-22(2)(ड) के अंतर्गत प्रबन्ध बोर्ड में नामित निम्न सदस्यों से अवगत हुई:-


1. प्रो० राम अचल सिंह, पूर्व कुलपति, डा० आर०एम०एल०अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (विज्ञान क्षेत्र से)।
2. प्रो० राजीव त्रिपाठी, निदेशक, एम०एन०एन०आई०टी, इलाहाबाद(अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से)
3. प्रो० संजय कुमार सिंह, निदेशक, आई०एम०टी०, गाजियाबाद (प्रबंध क्षेत्र से)
4. श्री एस० के० अग्रवाल, मैनेजिंग डाइरेक्टर, एस० के० केमिकल्स, गोरखपुर(उद्योग क्षेत्र से)

Bhuma

2021/03.18 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद

कोई अन्य मद नहीं रखा गया।

बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुयी।



29.07.2021

(प्रो० बृजेश कुमार)

सचिव/कुलसचिव

प्रबन्ध बोर्ड, म०मो०मा०प्रौ०वि०, गोरखपुर

अनुमोदित



29.7.2021

(प्रो० जय प्रकाश पाण्डेय)

अध्यक्ष/कुलपति

प्रबन्ध बोर्ड, म०मो०मा०प्रौ०वि०, गोरखपुर

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की दिनांक 27.07.2021 को विश्वविद्यालय के सर जे0सी0 बंस सभागार में प्रातः 10.30 बजे सम्पन्न हुई 2021/01 (बाइसवीं) बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. प्रो0 श्री जे0पी0 पाण्डेय
कुलपति,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
अध्यक्ष
2. श्री कृपाशंकर सिंह, विशेष सचिव,
प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
सदस्य
3. श्री हरिशंकर मिश्र, अपर निदेशक कोषागार
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।
सदस्य
4. ई0एस0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक,
मेसर्स एस0 के0 केमिकल्स।
चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज,
105, सुनन्दा टावर, बैंक रोड,
गोरखपुर।
राज्य सरकार द्वारा नामित
5. प्रो0 राकेश कुमार,
अधिष्ठाता छात्र मामले,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।
विशेष आमंत्रित सदस्य
6. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव,
अधिष्ठाता अध्ययन, शोध एवं विकास,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।
विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो0 गोविन्द पाण्डेय,
अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
विशेष आमंत्रित सदस्य

 F.C.

8. प्रो० डी०के० द्विवेदी,
अधिष्ठाता संकाय मामले,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य
09. प्रो० एस०के० सोनी,
अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। विशेष आमंत्रित सदस्य
10. प्रो० बृजेश कुमार,
कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। सदस्य
11. श्री अमर सिंह,
वित्त नियंत्रक,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर। सदस्य/सचिव

वित्त समिति की बाइसवीं बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है।

- 22-01 वित्त समिति की दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न हुई 2020/05 (इक्कीसवीं) बैठक की कार्यवृत्ति के पुष्टि का प्रस्ताव।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था, जिस पर मा० सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत विवरण के अवलोकनोपरान्त वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि इस संशोधन के साथ की गयी कि मद संख्या 21-08 में व्यय की सीमा को रु. 30.00 लाख तक करते हुए नियमानुसार क्य की प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की बचतों से किया जायेगा।

- 22-02 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 2020/5(इक्कीसवीं) बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित विवरण।

समिति वित्त समिति की इक्कीसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन करते हुए पूर्व के स्वीकृति प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

 F.C.



22-03

विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 31.03.2021 (वित्तीय वर्ष 2020-21) तक का वास्तविक व्यय का व्यौरा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमोदित आय एवं व्यय के बजट के सापेक्ष दिनांक 30.06.2021 तक का वास्तविक व्यय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 31.03.2021 तक का वास्तविक व्यय का व्यौरा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमोदित आय एवं व्यय के बजट के सापेक्ष दिनांक 30.06.2021 तक का वास्तविक व्यय के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने वाली आय की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय।

22-04

विश्वविद्यालय परिसर में 500 K.W. के सौर उर्जा प्लांट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में 500 K.W. के सौर उर्जा प्लांट स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर रु. 194413750.00 के व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-05

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा किसी प्रोफेशनल सोसाईटी की आजीवन/वार्षिक सदस्यता प्राप्त करने में व्यय हेतु पंजीकरण शुल्क दिये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा किसी प्रोफेशनल सोसाईटी की आजीवन/वार्षिक सदस्यता प्राप्त करने में पंजीकरण शुल्क के रूप में यदि व्यय किया जाता है तो उसका 75 प्रतिशत या अधिकतम रु. 5000.00 की धनराशि जो भी कम हो उसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शिक्षक द्वारा पूर्ण अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार विश्वविद्यालय के श्रोतों से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

22-06

विश्वविद्यालय में कार्यरत अंशकालिक होमियो पैथिक चिकित्सक के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत अंशकालिक होमियो पैथिक चिकित्सक के पारिश्रमिक रु. 13200.00 प्रतिमाह के स्थान पर रु. 17000.00 की वृद्धि माह अगस्त 2021 से किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

 F.C.

22-07 विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी कार्यवश मुख्यालय स्तर पर बाहर जाने पर दिये जाने वाले सड़क यात्रा के लिये लोकल कन्वेन्स की दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सरकारी कार्यवश मुख्यालय स्तर पर स्थित बाहर के विभिन्न कार्यालयों में जाने पर दिये जाने वाले सड़क यात्रा के लिये लोकल कन्वेन्स की दर प्रति यात्रा रु. 18.00 के स्थान पर रु. 50.00 की प्रति दर पर वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के बचतों से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

22-08 केमिकल इन्जी० विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण के कय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा केमिकल इन्जी० विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरण के कय करने हेतु रु. 70.00 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कय की प्रक्रिया के तहत धनरशि विश्वविद्यालय से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-09 विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में संविदा नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट को जैम पोर्टल के माध्यम से रखने एवं माह जनवरी 2021 से किये गये कार्यों के सापेक्ष भुगतान का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में संविदा नर्स/फिजियोथेरेपिस्ट को जैम पोर्टल के माध्यम से रखने एवं माह जनवरी 2021 से किये गये कार्यों के सापेक्ष भुगतान संविदा नर्स को रु. 15000.00 प्रतिमाह एवं फिजियोथेरेपिस्ट को रु. 10500.00 प्रतिमाह (अंश कालिक 03 घन्टा हेतु) की दर से मानदेय दिय जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त प्रक्रिया को जैम पोर्टल के माध्यम से यथा शीघ्र पूरा कर लिया जाय।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतों से पूर्व की भाँति किया जायेगा।

22-10 विद्युतकण एवं संचार अभियंत्रण विभाग में एंटीना विकिरण पैटर्न माप एवं अन्य उपकरण कय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विद्युतकण एवं संचार अभियंत्रण विभाग में एंटीना विकिरण पैटर्न माप एवं अन्य उपकरण कय करने हेतु रु. 45.30 लाख के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार कय की प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतों/टेक्विप मद से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-11 विश्वविद्यालय के परिसर में लगे सभी R.O. प्लान्ट वार्टर प्यूरिफायर एक्वागार्ड, वाटर कूलर तथा छात्रावासों के मेस में लगे गैस स्टोव एवं अन्य विद्युत उपकरण का आगामी एक वर्ष तक ऐनुअल मेन्टेनेंस कान्ट्रैक्ट का प्रस्ताव।

 F.C.

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर में लगे सभी R.O. प्लान्ट व वाटर प्यूरिफायर एक्वागार्ड, वाटर कूलर तथा छात्रावासों के मेस में लगे गैस स्टोव एवं अन्य विद्युत उपकरण का आगामी एक वर्ष तक ऐनुअल मेनटेनेंस कान्ट्रैक्ट कराये जाने की लागत का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आगामी वित्त समिति में पुनः प्रस्ताव रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

22-12 विश्वविद्यालय के लेखानुभाग में एकाउन्टिंग पालिसी तैयार करने एवं उसके सापेक्ष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के लेखानुभाग में एकाउन्टिंग पालिसी तैयार करने एवं उसके सापेक्ष प्रशिक्षण दिये जाने पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया लेखानुभाग के कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन जैसे संस्थानों से भी प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये।

22-13 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से एकेडमिक भवन एवं पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव।

समिति द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से एकेडमिक भवन हेतु रु. 1.00 करोड़ एवं पुस्तकालय के जीर्णोद्धार हेतु रु. 0.21 करोड़ का कार्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस पर होने वाले समस्त व्यय भार का वहन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किया जायेगा।

22-14 विश्वविद्यालय में टाईप III के 30 नग आवासों में से 12 नग आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में टाईप III के 30 नग आवासों में से 12 नग आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माण का कार्य कराये जाने पर रु. 330.78 लाख का व्यय भार पड़ेगा जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा मा० कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे निर्माण कार्य हेतु पूर्व में चयनित 5 संस्थाओं में से किसी एक को चयनित कर ले। साथ ही कार्य के गुणवत्ता एवं प्रगति की निरन्तर मानिट्रिंग विश्वविद्यालय स्तर से होती रहे।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार विश्वविद्यालय के श्रोतों से होने वाली आय की बचतों से प्राप्त धन से व्यय का वहन किया जायेगा।

22-15 विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता केन्द्र की संचालन एवं समन्वयक की नियुक्ति को 11 माह के लिए एवं केन्द्र के संचालन इत्यादि पर कुल अनुमानित व्यय रु. 20.00 लाख पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय से होने वाली आय की बचतों से किया जायेगा।

 FC

22-16 स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी.फार्म (फार्मसी) पाठ्य क्रम के संचालन हेतु मानक के अनुरूप नये भवन के निर्माण का प्रस्ताव।

समिति द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बी.फार्म (फार्मसी) पाठ्य क्रम के संचालन हेतु मानक के अनुरूप नये भवन के निर्माण पर रु. 1153.39 लाख व्यय होने का अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया गया। जिसका समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति द्वारा मा० कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे निर्माण कार्य हेतु पूर्व में चयनित 5 कार्यदायी संस्थाओं में से किसी एक को चयनित कर ले, तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की निरन्तर मानिट्रिंग करते रहें।

उक्त व्यय का वहन विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से किया जायेगा।

22-17 कार्यालय प्रधान महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के वैलेन्सशीट में दिये गये सुझाव के अनुसार की गयी कार्यवाही का प्रस्ताव।

समिति द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के वैलेन्सशीट में दिये गये सुझाव के अनुसार की गयी कार्यवाही में विभिन्न देयताओं का वैलेन्स जनरल फण्ड में समाहित करते हुए हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

22-18 विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2020-21 के वैलेन्सशीट/बैंक समाधान विवरण का अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय की वर्ष 2020-21 की वैलेन्सशीट/बैंक समाधान विवरण का अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही समिति को अवगत कराया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय कम हुई है इसका कारण छात्रों की फीस के रूप में यूजर चार्ज को माफ किया जाना एवं कोविड-19 के दृष्टिगत छात्रों की फीस की दूसरी किश्त 31 मार्च 2021 के बाद प्राप्त होना है।

22-19 विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में फर्नीचर एवं ए०सी० लगाये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रभारी अतिथि गृह द्वारा अतिथि गृह में नये फर्नीचर, नये ए०सी० के क्रय एवं छत के मरम्मत कार्य हेतु रु. 9.51 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कराते हुए धनराशि विश्वविद्यालय के बचतो से वहन की जायेगी।

22-20 विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभी प्रकार के आवासों में प्रीपेड बिजली के मीटर लगाये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी प्रकार के आवासों में प्रीपेड बिजली के मीटर लगाये जाने पर लगभग रु. 30.00 लाख का

 F.C.

अनुमानित व्यय भार प्रस्तुत किया गया है। जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया।


धन की उपलब्धता के अनुसार नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कराते हुए धनराशि विश्वविद्यालय के बचतो से वहन की जायेगी।


22-21 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कमाने वाले अभिभावकों की मृत्यु तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा मानवीय आधार पर किये जाने वाली मदद/सहयोग के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कमाने वाले अभिभावकों की मृत्यु पर छात्र कल्याण नियमावली को 31 मार्च 2021 से प्रभावी किये जाने के साथ प्रत्येक छात्र को मानवीय आधार पर रु. 1.00 लाख अनुग्रह राशि तथा उसके आगामी सत्रों की कुल फीस माफ किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा मानवीय आधार पर रु. 4.00 लाख की एक मुश्त मदद आश्रित परिवार को किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपरोक्त दोनों प्रयोजनों हेतु भुगतान एन्डाउन्मेन्ट फन्ड के व्याज की धनराशि से किया जायेगा।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुई।


(अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक
सदस्य/सचिव


27-7-2021
(प्रो० जे०पी० पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष